

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०— वि. प्रा. (III) य¹—03/2013—

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना

विषय— विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, डिहरी—ऑन—सोन में आवश्यकता आधारित मशीनें/उपकरण एवं उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु रु. 20,00,000=00 (बीस लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015—16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश— स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, डिहरी—ऑन—सोन के पत्रांक—113, दिनांक 19.01.2016 द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर संस्थान में आवश्यकता आधारित मशीनें/उपकरण एवं उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु रु. 20,00,000=00 (बीस लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015—16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015—16 के आयोजना बजट के “मुख्य शीर्ष—4202 —शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष —02—तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष—104 —बहुशिल्प, मांग संख्या—43, उपशीर्ष—0102— पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय” के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड— पी 4202021040102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, डिहरी—ऑन—सोन होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, रोहतास (सासाराम) से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली—2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होंगे तथा क्रय की गई मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक एवं आवश्यकता से अधिक सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015—16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या— 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक— 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(ओम प्रकाश राय)
सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा. (III) य¹-03/2013-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा. (III) य¹-03/2013-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा. (III) य¹-03/2013-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, डिहरी-ऑन-सोन को उनके पत्रांक-113, दिनांक 19.01.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा. (III) य¹-03/2013-

760 /पटना, दिनांक- 10/3/16

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
10/3/16

सरकार के उप सचिव

मार्ग (19) नं०